



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 323 राँची, मंगलवार,
7 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
28 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 मई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-40/2016 का.-25521 (HRMS)--श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808A/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची-सह-प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के विरुद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2142/स्था०, दिनांक-13.04.2016 द्वारा गठित आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या-01:- विभागीय वाहन संख्या- BR15A-0411 का उपयोग करते हुए परिवहन भत्ता प्राप्त कर घोर वित्तीय अनियमितता बरतना ।

आरोप संख्या-02:- वित्त विभाग का संकल्प संख्या 1371/वित्त, दिनांक- 22.06.2006 के द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन किया जाना ।

आरोप की विवरणी:- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के द्वारा श्री कन्हैया सिंह, जंजीरवाहक, श्री प्रेम कुमार तियु, लिपिक, श्री दयानन्द खलखो, जंजीरवाहक, श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, आदेशपाल, श्री लक्ष्मी पासवान, जंजीरवाहक, श्री वैधनाथ भगत, जंजीरवाहक से संबंधित स्थापना विपत्र संख्या- 54(E) 2012-13 के द्वारा कोषागार से राशि निकालकर विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के खाता में डाला गया एवं चेक के माध्यम से भुगतान किया गया ।

आरोप संख्या-03:- विशेष भू-अर्जन कार्यालय, राँची के कतिपय सेवा निवृत्त कर्मियों के विभिन्न प्रकार के देय पावनाओं के भुगतान में विलंब करना ।

आरोप की विवरणी:- श्री नन्दकिशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त जंजीर वाहक, श्री रामप्रीत सिंह, सेवानिवृत्त मापक की सेवा निवृत्त देय पावनाओं में अनावश्यक विलंब किया गया एवं बाधित करने का प्रयास किया गया ।

आरोप संख्या-04:- राज्य सरकार के स्तर से निर्गत आदेश की अनुपालन नहीं करते हुए सरकारी आदेश का अवहेलना करना ।

आरोप की विवरणी:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या- 3992, दिनांक- 27.12.2011 स्थानांतरित श्री संजय भारती, कानूनगो को आदेश के अनुपालन में विरमित नहीं किया गया एवं पत्रांक- 489, दिनांक- 26.12.2013 के द्वारा निर्गत अधिसूचना को विलोपित करने का अनुरोध किया गया ।

आरोप संख्या- 05:- मेदिनीनगर कार्यालय के अनुपस्थिति विवरणी में किये गये छेड़छाड़ को नजरअंदाज करना ।

आरोपी की विवरणी:- उपस्थिति पंजी में प्रेम कुमार तियु, लिपिक, श्री दयानंद खलखो, जंजीरवाहक की लगातार अनुपस्थित रहने पर हाजिरी काटा जाना एवं ब्लेड से खरोंच कर बचाया गया। जाँच के क्रम में प्रधान सहायक जिम्मेवार हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसपर त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं की गयी ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3900, दिनांक 12.05.2016 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्रांक-159, दिनांक 21.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7469, दिनांक 04-10-2018 द्वारा जल संसाधन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। जल संसाधन विभाग के पत्रांक-2344, दिनांक 03.06.2021 द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

3. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-22651(HRMS), दिनांक 21.07.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-125 दिनांक 19.01.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी

के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1, 3 एवं 5 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोप संख्या- 2 के संबंध में अंकित है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उल्लंघन अपने किसी निहित स्वार्थ के हित में न कर कर्मियों के हित में किया गया है। अतः इसे आरोप की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए ।

आरोप संख्या-4 के संबंध में अंकित किया गया है कि आरोप के स्वीकरण से स्पष्ट है कि आरोप प्रमाणित है, परन्तु अनुपालन क्यों नहीं किया गया, इसपर भी विचार किया जाना उतना ही महत्व रखता है। क्षेत्रीय पदाधिकारी पर कार्यों के अनुपालन का भार रहता है तथा कार्य नहीं होने पर सारे दोष क्षेत्रीय पदाधिकारी पर ही पड़ता है। अतः ऐसी परिस्थिति में विभाग स्वतः निर्णय ले सकती है ।

5. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी ।

6. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808A/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची-सह-प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808A/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRENDRA KUMAR SINHA BHR/BAS/3747	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808A/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची-सह-प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
